यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरी के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजीव कुमार, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सुनील कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(त0) द्वारा दिनांक-15.02.2021 से 22.02.2021 तक श्री ए0के0 जैन, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव एवं अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री जोगिंदर सिंह, व0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक-06.08.2019 से 13.08.2019 तक श्री संजय कुमार वर्मा, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2-**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा अपने क्षेत्र मे शुद्ध पेयजल का संचालन एवं सीवर व्यवस्था सुचारु रूप से किए जाने तथा तत्संबंधी अनुश्रवण किया जाता हैं।

(i) (अ) बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत राशि जो समर्पित की गयी
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2017-18	314.22	57.99	369.30	406.35	80.59	21.54	117.04
2018-19	277.17	117.04	690.00	865.00	56.72	165.39	8.37
2019-20	452.45	218.65	675.57	573.34	218.66	218.66	0.00

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य/ बचत
2017-18	एन0आर0डब्लू0पी0	-	52.05	51.20	0.85
2018-19		-	00	00	00
2019-20		-	00	00	00

जिला योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य/ बचत
2017-18	जिला योजना/नगरीय/ ग्रामीण	-	13.37	8.51	4.86
2018-19		-	15.00	13.10	1.90
2019-20		-	13.00	13.00	0.00

राज्य पेयजल योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य/ बचत
2017-18	राज्य योजना मसूरी	-	71.51	68.68	2.83
2018-19		-	33.48	27.01	6.47
2019-20		-	144.61	101.65	42.96

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"बी"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

1. सचिव, पेयजल विभाग
2. मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान
3. महाप्रबंधक,जल संस्थान
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरीको आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरीकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अक्तूबर 2019 कोविस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -II (अ)

प्रस्तर-1- रु 96.41 लाख धनराशि की घरेलू/अघरेलू जल/सीवर संयोजन के जल परिव्यय/ सीवर शीट शुल्क की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन स. 1265/ उन्तीस (1) / 2010 – (03 अधि0) /11- दिनांक 28-02-2011 (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक है, यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विछेदन की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड, जल संस्थान, मसूरी के चालू वर्ष 2019-20 के घरेलू / अघरेलू जल/सीवर संयोजन के जल परिव्यय/ सीवर शीट शुल्क के वसूली संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि उक्त से संबन्धित कुल मांग रु॰ 8,10,96,091.66 के विरुद्ध संग्रह रु॰ 7,14,55,329.00 हुई तथा अवशेष रु॰ 96,40,762.66 की वसूली लम्बित पड़ी हैं।

जबकि देयकों उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किए गए 10 माह से ज्यादा का समय हो चुका है उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन के अनुसार कार्यालय द्वारा या तो विछेदन किया जाना चाहिए या तो संबन्धित घरेलू / अघरेलू जल/सीवर संयोजन के जल परिव्यय/ सीवर शीट शुल्क के वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी | परंतु खण्ड द्वारा वसूली की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप रु॰ 96,40,762.66 वसूली हेतु लंबित पड़ी हुई है ।

यह उल्लेखनीय है कि अक्तूबर 2020 तक उक्त लंबित वसूली बढ़कर रु॰ 1,88,07,055.66 हो गई।

उपरोक्त से संबन्धित अभिलेखों की जांच/विश्लेषण में संलग्न 51 घरेलू/अघरेलू जल/सीवर संयोजन के जल परिव्यय/सीवर शीट शुल्क की वसूली के कुछ बड़े प्रकरण है जो रु॰ 59,84,343.00 है तथा रु॰ 19,27,562 विलम्ब शुल्क के रूप में कुल धनराशिरु॰ 79,11,905.00 बड़े बकायेदारों से वसूली लंबित पड़ी हुई है |

उल्लिखित अधिनियम The UP Water Supply and Sewerage Act, 1975 के अंतर्गत जलमूल्य सीवर चार्ज की वसूली नही किए जाने वाले संबन्धित घरेलू/अघरेलू जल/सीवर संयोजन पर कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त के संबंध मे अवगत करने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे कहा कि उपभोक्ताओं की बकाया धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी कर दी जाएगी एवं संबन्धित बकायादारों को नोटिस जारी कर विलंब शुल्क सहित वसूली की कार्यवाही की जाएगी। वसूली हेतु टीमें बनाकर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार रु. 96.41 लाख धनराशि की घरेलू/अघरेलू जल/सीवर संयोजन के जल परिव्यय/ सीवर शीट शुल्क की वसूली लंबित पड़ी है जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक भार पड़ रहा है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग- II(ब)

प्रस्तर:1 – रु 5.49 लाख धनराशि के मीटर खरीदने के बावजूद UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशों का अवहेलना कर 4996 घरेलू-अघरेलू संयोजन मे मीटर विहीन जलापूर्ति किया जाना।

14th Finance Commission Report के पैरा-15.50 के Point No.92 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र मे शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना था तथा नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था।

"States(urban and rural bodies) should progressively move towards 100 per cent metering of individual drinking water connections to households, commercials establishments as well as institutions. All existing individual connections in urban and rural areas should be metered by March 2017 and the cost of this should be borne by the consumers. All new connections should be given only when the functioning meters are installed."

UP Water Supply and Sewerage Act 1975 के Chapter VII के अंतर्गत बिन्दु संख्या-69 के अनुसार-"The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with works of the Jal Sansthan."

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना (मार्च 2020 तक) के अनुसार-

संयोजन का प्रकार	कुल संख्या	मीटर सहित	मीटर विहीन
घरेलू	4355	-	4355
अघरेलू	1236	595	641
कुल	5591	595	4996

कार्यालय के भंडार अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि मार्च 2020 तक निम्न मीटर भंडार मे अवशेष थे-

(रु में)

Sl. No	Name of Items	Size	Store Balance	Rate	Total
1	Water Meter	15 mm	190	2051.78	389838.20
2	Water Meter	20 mm	28	3313.44	92776.32
3	Water Meter	25 mm	10	6626.88	66268.80
				कुल	**548883.32**

कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 मे रु 5.49 लाख के खरीदे गए मीटर भंडार मे पड़े हैं। कार्यालय द्वारा मीटर के संयोजन ना कर घरेलू तथा अघरेलू संयोजन मे विगत कई वर्षों से जलापूर्ति किए जा रहे हैं जो प्रावधानों के अनुसार नही हैं।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मीटर संयोजन की कार्यवाही की जा रही हैं। कार्यालय का उत्तर तर्कसंगत नही हैं क्योकि कार्यालय द्वारा अप्रैल 2019 मे मीटर खरीदे मीटर अतिथि तक संयोजन नही किए हैं।

अत: रु 5.49 लाख धनराशि के मीटर खरीदने के बावजूद UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशों का अवहेलना कर 4996 घरेलू-अघरेलू संयोजन मे मीटर विहीन जलापूर्ति किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर 2- ₹8.45 लाख को बैंको में अवरूध रखा जाना।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा पूर्वे में संचालित तीन बैंक खाते यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, एक्सिस बैंक तथा नैनीताल बैंक क्रमशः सितम्बर 2013, एक्सिस बैंक से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नही है कि कब से निष्क्रिय है, तथा जनवरी 2020 से निष्क्रिय थे, कार्यालय द्वारा संचालित नही किये जा रहे थे। इन बैंक खातों में मार्च 2020 तक क्रमशः ₹163168/-, ₹456775.21 तथा ₹225253/- और इस प्रकार कुल ₹845196.21 धनराशि लेखा परीक्षा तिथि तक अवरुद्ध पड़ी हुयी थी।

इस अवरुद्ध राशि को लोक हित के कार्यों में प्रयोग किया जा सकता था परन्तु कार्यालय द्वारा ऐसा नही किया गया था। ये खाते क्यों असंचालित थे, ये राशि क्यों अवरुद्ध रखी हुयी थी इसका कोई कारण अभिलेखों से स्पष्ट नही थे।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो कि पुष्टि करते उत्तर में बताया कि ये खातें वर्तमान में भी असंचालित हैं, इन खातों को सक्रीय करने की कार्यवाही की जा रही है। आगे बताया कि इन खतों को शीघ्र ही संचालित कर अवरुद्ध राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, इकाई द्वारा ₹8.45 लाख को अवरुद्ध रखे जाने का कोई औचित्य नही था, ये राशि लोकहित के कार्यों में प्रयोग की जा सकती थी जो नही की गयी थी, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या.	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या
1	37/AB/2010-11	.....	1
2	90/2015-16	.....	1,2
3	61/2019-20	1,2	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही गतिमान हैं।				

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

1. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
2. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री सुशील कुमार सैनी	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से 21.01.2021 तक
2.	श्री कैलाश चंद पैन्यूली	अधिशासी अभियन्ता	22.01.2021 से अब तक।

3. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**
   शून्य

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरी को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए°एम°जी°-II (नॉन-पी°एस°यू°), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र – II